न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
41 / 2021 प्रा.पत्र / 2021	13.05.2021	09.02.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..............प्रार्थी

बनाम

1–श्री विजयप्रताप सिंह सोलंकी पुत्र श्री तेजप्रताप सिंह सोलंकी निवासी ग्राम पोस्ट छाण तह0 व जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार एण्ड बेकरी छाण बाईपास चोराहा छाण तह0 व जिला–टोंक राज0
2–मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार एण्ड बेकरी छाण बाईपास चोराहा छाण तह0 व जिला–टोंक राज

.... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51(सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थी व उनके अभिभाषक श्री प्रदीप सक्सेना उपस्थित।

:–**निर्णय**–: **दिनांक 09.02.2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.12.2020 को समय 4.30 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार बेकरी छाण बाईपास चोराहा छाण टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। एफ.बी.ओ. एंव प्रोपराइटर की हैसियत से श्री विजयप्रताप सिंह सोलंकी पुत्र श्री तेजप्रताप सिंह सोलंकी जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान के काउन्टर में एल्मूनियम की 5 ट्रे में लगभग 20 किलोग्राम **मावा बर्फी (खोया बेस्ट स्वीट्स)** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर एफ.बी.ओ. श्री विजयप्रताप सिंह को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता विजयप्रताप सिंह एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। आवेदक द्वारा दुकान के गोदाम मे स्टील की 5 ट्रे मे रखे हुये लगभग 20 किलोग्राम **मावा बर्फी (खोया बेस्ट स्वीट)** मे से एक ट्रे मे रखी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मावा बर्फी को पूर्णतया होमोजिनियस कर एक स्टील की ट्रे मे 2 किलोग्राम मावा बर्फी वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री विजयप्रताप सिंह को रू0 800/-अक्षरे आठ सौ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **मावा बर्फी (खोया बेस्ट स्वीट)** को ज्यों का त्यों अलग-अलग चार भाग कर, चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बे में 500-500 ग्राम बराबर-बराबर भर कर प्रत्येक मे 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 40-40 बूंदे डालकर अच्छी तरह हिला मिलाकर प्रत्येक डिब्बे को ढक्कन से अच्छी तरह चिपकाया व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I-2755 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विकेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये। चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2755 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. विजयप्रताप सिंह के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2021/46/ दिनांक 6-1-2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/2452/एक्ट/2020/2315 दिनांक 28-12-2020 अनुसार विजयप्रताप सिंह से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **मावा बर्फी (खोया बेस्ट स्वीट)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री विजय प्रताप सिंह सोलंकी व उनके अभिभाषक उपस्थित हुए एवं एवं बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। इसके लेबल पर भी सभी आवश्यक जानकारियां अंकित है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मावा बर्फी (खोया बेस्ट स्वीट)** का विकय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मावा बर्फी (खोया बेस्ट स्वीट)**का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 15,000/–(अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 09.02.2024 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0